

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़श्रीमती राधादेवी

बनाम

सरकार**कार्यवाही अन्तर्गत :-****धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**

किस्म मुकदमा

विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)

नं०

029

सन्

2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.06.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। थानाधिकारी पुलिस थाना भादसौडा से पत्रांक/857 दिनांक 11.06.2024 से टिप्पणी/अभिमत मय अनुसंधान पत्रावली के प्राप्त हुये है जो कि शामिल पत्रावली हैं। टिप्पणी/अभिमत रिकार्ड पर लिया जाता है। सीडी पत्रावली के हम किता रहें। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण के संबंध में न्यायालय में मूल प्रकरण संख्या 004/2024 (गौ-वंश) लम्बित होकर विचाराधीन है। दोनो प्रकरणों में एक ही वाहन के निस्तारण का प्रश्न है, अतः इस प्रकरण की सुनवाई मूल प्रकरण के साथ की जाकर आदेश पारित किया जाना उचित है। अतः दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई हेतु रखा गया।</p> <p>मूल प्रकरण संख्या 004/2024 (गौ-वंश) अनवानी सरकार बनाम मुकेश वगैराह में न्यायालय आदेश से प्रार्थीया श्रीमती राधादेवी पत्नी मुकेश जाति गाडीया लौहार निवासी केदारिया बस स्टैण्ड के पास बांसडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर द्वारा जुर्माना राशि रुपये 15,000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये मात्र के संदाय किये जाने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 53 GA 1114 को रुपये 5,00,000/- अक्षरे पांच लाख रुपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर विहित शर्तों पर सिपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिये गये है, अतः प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेशानुसार जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान/रसीद व अपेक्षित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश किये जाने पर पत्रावली पुनः पेश हो, अन्यथा मूल प्रकरण संख्या 004/2024 (गौ-वंश) अनवानी सरकार बनाम मुकेश कुमार वगैराह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6'क' राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 निर्णय दिनांक 12.06.2024 के साथ हम किता रहे। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निर्णित इन्द्राज किया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(आलोक रंजन)

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़

12.06.2024